UPKN010045902012

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या—01, कानपुर—नगर।

उपस्थित : अजय कुमार त्रिपाठी—II .... उच्चतर न्यायिक सेवा

दांडिक अपील संख्या—34 / 2012

अतुल कुमार मौर्या पुत्र श्री गंगा राम मौर्या, निवासी प्लाट नं0—8 राज नगर कर्रही रोड, थाना—बर्रा, कानपुर—नगर।

...........अपीलार्थी

बनाम

उ0प्र0 सरकार द्वारा डी0जी0सी0 (क्रिमिनल), कानपुर—नगर।

...........प्रत्यर्थी

निर्णय

1. प्रस्तुत दांडिक अपील, अपीलार्थी द्वारा अवर न्यायालय एम0एम0 प्रथम, कानपुर—नगर द्वारा मुकदमा नं0—4382 / 2009, एन0एस0ए0 बनाम अतुल कुमार मौर्या, धारा—7 / 16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, थाना—बर्रा, कानपुर—नगर में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 17.02.2012 के विरूद्ध योजित की गयी है।

2. प्रस्तुत अपील के आधारों में अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.02.2012 विधि एवं तथ्य की दृष्टि से गलत है। विचारण न्यायालय द्वारा संभावनाओं एवं परिकल्पनाओं के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांकित 17.02.2012 अविधिक एवं विधि के उपबन्धों के विपरीत है तथा निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के तथ्यों को अनदेखा किया गया है। विचारण न्यायालय ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों को नहीं देखा है। विचारण न्यायालय ने बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की अनदेखी की है। विचारण न्यायालय ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने पर ध्यान नहीं दिया है। विचारण न्यायालय ने नियम—17 व 18 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा धारा—11(1)(सी) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का अनुपालन न होने पर कोई ध्यान नहीं दिया है। विचारण न्यायालय ने नियम—14 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया है कि उक्त खाद्य निरीक्षक को अपीलार्थी से जांच हेतु नमूना लेने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया है कि पनीर के सम्बन्ध में फार्मलीन का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं है।

विचारण न्यायालय ने धारा–20(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को भी ध्यान नहीं दिया है। विचारण न्यायालय ने धारा–13(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया है कि खाद्य निरीक्षक ने नमूने के साथ छेड़छाड़ की है। विचारण द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश स्वेच्छाचारी है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। अतः अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा नं0–4382/2003, एन0एस0ए0 बनाम अतुल कुमार मौर्या, धारा–7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, थाना–बर्रा, कानपुर–नगर में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 17.02.2012 को अपास्त किया जाए तथा अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाए।

3. प्रत्यर्थी विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपनी आपत्ति में यह कथन किया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने विधि एवं तथ्य तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का उचित निर्वचन करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है। उक्त आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील निरस्त होने योग्य है।

4. प्रस्तुत मामले में पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी/खाद्य निरीक्षक द्वारा परिवाद इन अभिकथनों के साथ संस्थित किया गया कि दिनांक 11.10.2008 को पूर्वाहन् 9.00 बजे खाद्य निरीक्षक श्री अनिल कुमार कटियार द्वारा प्लाट नं0–8 राजनगर कर्रही रोड, अन्तर्गत थाना–बर्रा, जिला–कानपुर नगर में स्थित अंकल दुग्ध भण्डार का निरीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर–नगर के आदेश सं0–1205 दिनांकित 10.10.2008 के अनुपालन में नोडल अधिकारी डा0 के0के0 सचान चिकित्साधिकारी, सलिल सिंह खाद्य निरीक्षक व कृष्ण कुमार सैनी–सेनेटरी सुपरवाइजर की उपस्थिति में अपने पद का परिचय देकर किया गया, जहॉ पर अभियुक्त अतुल कुमार मौर्य को खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू, पनीर, पेड़ा, बर्फी, दूध आदि को विक्रय करते एवं विक्रय के लिये प्रदर्शित पाया गया। खाद्य पदार्थ पनीर में मिलावट का सन्देह होने पर खाद्य निरीक्षक द्वारा अभियुक्त से 750 ग्राम पनीर मूल्य 105/–रूपये (मूल्य–140/–रूपये प्रति किलो की दर से) देकर क्रय किया गया और अभियुक्त को नोटिस प्रपत्र–6 नमूने की जॉच कराने के उद्देश्य से दिया गया। क्रय किये गये पनीर को तीन साफ सूखे प्लास्टिक के कन्टेनर में बराबर–बराबर विभाजित करके भरा गया और उसमें लगभग 60 बूॅद (40 प्रतिशत) फार्मलीन मिलाकर तीनों भागों पर स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त कोड स्लिप सं0 के0एन0–2008/442/ए0के0–37 को चिपकाकर नियमानुसार सीलमोहर किया गया और नमूने के एक भाग को जन विश्लेषक को परीक्षण हेतु भेजा गया। शेष दो भागों को प्रपत्र–7 की प्रतियों सहित स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को भेजा गया। जन विश्लेषक की आख्या सं0–16499 दिनांकित 22.11.2008 के प्राप्त होने पर अभियुक्त से लिये गये नमूने में मिल्क फैट निर्धारित मात्रा से 50 प्रतिशत कम पाया गया, जबकि पनीर में न्यूनतम मिल्क फैट 50 प्रतिशत होना चाहिये। इस प्रकार जन विश्लेषक की आख्या में पनीर अपमिश्रित पाये जाने के पश्चात् खाद्य निरीक्षक द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त उक्त परिवाद अभियुक्त के विरूद्ध संस्थित किया गया।

5. परिवाद संस्थित होने के उपरान्त स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.06.2009 को अभियुक्त अतुल कुमार मौर्य (विक्रेता)

को अधिनियम की धारा–13(2) के अन्तर्गत नोटिस पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया।

6. अभियुक्त दिनांक 30.08.2010 को न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा उसके द्वारा कहा गया कि उसे रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। फलस्वरूप अभियुक्त का विचारण प्रारम्भ किया गया और अभियुक्त का बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा–251 द0प्र0सं0 दिनांक 18.04.2011 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने परिवाद को गलत एवं झूठा चलने का कथन किया। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य आहूत किया गया।

7. अभियोजनपक्ष की ओर से पी0डब्लू0–1 के रूप में खाद्य निरीक्षक श्री अनिल कुमार कटियार एवं पी0डब्लू0–2 के रूप में खाद्य लिपिक रोहित यादव को परीक्षित कराया गया। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में नोटिस प्रपत्र–6 नियम–12 (प्रदर्श क–1), क्रय रसीद (प्रदर्श क–2), स्पाट नोट (प्रदर्श क–3), नमूना भेजने का ज्ञापन प्रपत्र–7 नियम–17 (प्रदर्श क–4), पंजीकृत डाक रसीद की छाया प्रति (प्रदर्श क–5), जन विश्लेषक की रिपोर्ट (प्रदर्श क–6), अभियोजन स्वीकृति प्रा0पत्र (प्रदर्श क–7), अभियोजन स्वीकृत (प्रदर्श क–8), परिवाद (प्रदर्श क–9), मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर के आदेश सं0–1205 दिनांकित 10.10.2008 की छाया प्रति (प्रदर्श क–10) नोटिस अन्तर्गत धारा–13(2) (प्रदर्श क–11) एवं नोटिस भेजने की पंजीकृत डाक रसीद (प्रदर्श क–12) को प्रस्तुत कर साबित कराया गया।

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त की परीक्षा अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 दिनांक 30.11.2011 को अंकित की गयी, जिसमें अभियुक्त ने कहा कि उससे कोई भी नमूना नहीं लिया गया है। परिवाद गलत प्रस्तुत किया गया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई साक्ष्य अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य व तर्कों के प्रकाश में उक्त परिवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु निर्मित किये गये :–

(1) क्या दिनांक 11.10.2008 को अभियुक्त को खाद्य निरीक्षक पी0डब्लू0–1 अनिल कुमार कटियार द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना लिया गया, जो कि अपमिश्रित पाया गया ?

(2) क्या अभियोजनपक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है ?

10. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–16–(1)(a)(i) सपठित धारा–7–(i) के अन्तर्गत अभियुक्त को दोषी पाते हुए अभियुक्त अतुल कुमार मौर्य को अधिनियम की धारा–16–(1)(a)(ii) सपठित धारा–7 के अपराध के लिये 06 मास के कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को एक मास के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दंडित किया गया। उक्त निर्णय एवं दण्डादेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील योजित की गयी है।

11. अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में जांच आख्या प्रदर्श क–6 से विदित होता है कि मिल्क फैट 28.9 प्रतिशत होना पाया गया है, जबकि न्यूनतम सीमा 50 प्रतिशत होनी चाहिये। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में खाद्य निरीक्षक ने कथित रूप से पनीर को फार्मलीन मिलाकर पालीथिन में रखा है, जैसा कि पी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित खाद्य निरीक्षक श्री अनिल कुमार कटियार ने मुख्य परीक्षा में ही कथन किया है, उनके द्वारा शीशे के साफ बर्तन में ही नमूना रखा जाना चाहिये। इस बिन्दु पर न्यायालय इस मत की है कि इस सन्दर्भ में अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पालीथिन में पनीर रखने से फैट कम हो सकता है। यदि पालीथिन में रखने से पनीर जांच योग्य नहीं रह गया होता तो निश्चित रूप से नमूना ही फेल कर दिया जाता, किन्तु मात्र फैट के कम होने से यह अवधारणा नहीं की जा सकती है कि मात्र पालीथिन में रखने से ही फैट कम हो गया है।

12. अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि नियम–17 एवं 18 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया है। खाद्य निरीक्षक के द्वारा नमूना लेने के पश्चात् तीनों भागों में से एक भाग को जन विश्लेषक को तत्काल अथवा अगले कार्य दिवस तक नियम–17 के अधीन प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, किन्तु नियम–17 के अधीन खाद्य निरीक्षक ने स्वयं नहीं भेजा है एवं अपने साक्ष्य के माध्यम से यह कथन किया है कि '' मैंने पी0ए0 के नमूने के एक भाग को जांच हेतु स्वयं न भेजकर जयसिंह खाद्य निरीक्षक ने भेजा था और अलग पी0ए0 को फार्म–7 इम्प्रेशन सील के साथ भी जयसिंह को भेजा था, मैंने नहीं भेजा था। नमूने के शेष दो भागों को एल0एच0ए0 कार्यालय में दिनांक 13.10.2008 को जमा कर दिया था। '' जबकि नमूना दिनांक 11.10.2008 को लिया गया था। इस सन्दर्भ ही पी0डब्लू0–1 खाद्य निरीक्षक अनिल कुमार कटियार ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–5 पर यह कथन किया है कि नमूना लेने के पश्चात् दो दिनों तक न नमूने के तीनों भागों को अपने पास रखा था। मैंने पी0ए0 के नमूने के एक भाग को जांच हेतु स्वयं न भेजकर जय सिंह खाद्य निरीक्षक ने भेजा था और अलग पी0ए0 को फार्म–7 इम्प्रेशन सील के साथ भी जय सिंह को भेजा था। मैंने नहीं भेजा था। नमूने के शेष दो भागों को एल0एच0ए0 कार्यालय में दिनांक 13.10.2008 को जमा कर दिया था। इस सन्दर्भ में न्यायालय इस मत की है कि नमूना लेने के तीसरे दिन जांच हेतु भेजा जा चुका है। एक दिन विलम्ब हो जाने से कोई पनीर की गुणवत्ता एवं फैट की मात्रा में कमी हो जाने का कोई कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त दिनांक 11.10.2008 को दिन शनिवार था। अगला कार्य दिवस निश्चित रूप से दिनांक 13.10.2008 को ही होगा। नमूना लेने के अगले कार्य दिवस को जांच हेतु भेजा गया। अतः नियम–18 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है।

13. अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में धारा–10(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नमूना देने का प्रावधान वर्णित है तथा धारा–10(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का प्रावधान आज्ञापक है कि मौके पर स्थानीय साक्षियों की उपस्थिति में नमूना लिया जाए, किन्तु इस बिन्दु पर स्थानीय लेख प्रदर्श क–3 के अवलोकन से विदित होता है कि यह छपे छपाये प्रोफार्मा पर जांच हेतु पनीर क्रय किये जाने का कथन किया गया है। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–4

के अन्त में पी0डब्लू0–1 खाद्य निरीक्षक अनिल कुमार कटियार ने यह कथन किया है कि नमूना स्थल बाजार एरिया में है। अगल बगल दुकानें बनी हुयी हैं। नमूना लेने के समय काफी भीड़ आ गयी थी। उस भीड़ में से किसी आदमी का नाम गवाही में अंकित नहीं किया गया। यह सही है कि परिवादी ने अपने बयान में जनता के गवाह का जिक्र किया था, परन्तु यह बात नमूना लेने के समय तैयार कराये गये किसी भी प्रपत्र में नहीं लिखी है। इस बिन्दु पर अपीलार्थी का यह तर्क है कि उक्त नमूना लेने का समय प्रातः 9.00 बजे दर्शित है तथा बाजार एरिया में किसी साक्षी का न होना यह स्पष्ट कर देता है कि सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी है। किसी अन्य दुकान से लेकर फर्जी कार्यवाही की गयी है। अपीलार्थी द्वारा उक्त स्थानीय लेख पर अंकित अतुल मौर्या शब्द के सन्दर्भ में यह कथन किया गया है कि उक्त हस्ताक्षर उनका नहीं है। वस्तुतः वह अपना हस्ताक्षर हिन्दी में करता है। इस बिन्दु पर पत्रावली में संलग्न प्रदर्श क–3 स्थानीय लेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त स्थानीय लेख एक छपा प्राफार्मा है तथा उक्त छपे प्रोफार्मा पर यह छपी हुयी इबारत अंकित है कि **'' विक्रेता महाशय से उपर्युक्त खाद्य पदार्थ की कीमत प्राप्त करने की रसीद ली गयी। शीशियों में लगाये गये नमूना सील मेमोरण्डम की 6–6 प्रतियों के साथ तैयार की गयी। कार्यवाही प्रारम्भ करने से पहले मौके पर मौजूद पब्लिक के लोगों से गवाही देने तथा पूरी कार्यवाही तक रूकने को कहा था। इस पर कोई नहीं तैयार हुआ, बल्कि जगह छोडकर चले गये।''** यहॉ यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि धारा–10(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम यह प्रावधानित करता है कि खाद्य निरीक्षक द्वारा नमूना लेते समय स्वतन्त्र साक्षियों को मौके पर बुलाया जाना आवश्यक है।

14. धारा–10(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अनुसार यह आज्ञापक प्रावधान है कि नमूना लेते समय खाद्य निरीक्षक द्वारा स्वतन्त्र साक्षियों को बुलाया जाए। Where the food inspector takes any action under clause (a) of sub-section (1), sub-section (2), sub-section (4) or sub-section (6), he shall 9 [call one or more persons to be present at the time when such action is taken and take his or their signatures]. किन्तु आश्चर्यजनक रूप से प्रस्तुत मामले में स्थानीय लेख पर ही खाद्य निरीक्षक ने यह इबारत छपी छपायी तैयार कर रखी है कि **''कार्यवाही प्रारम्भ होने से पहले मौके पर मौजूद पब्लिक के लोगों से गवाही देने तथा पूरी कार्यवाही तक रूकने को कहा था, इस पर कोई तैयार नहीं हुआ, बल्कि जगह छोड़कर चले गये।''** खाद्य निरीक्षक के स्थानीय लेख पर इस छपी हुयी इबारत से यह तथ्य दर्शित होता है कि खाद्य निरीक्षक के मन मस्तिष्क में प्रारम्भ से ही यह विचार बना हुआ था कि यह तथ्य ही लिखना है। स्पष्टतः उनके द्वारा किसी साक्षी को बुलाने का प्रयास ही नहीं किया गया होगा, जबकि धारा–10(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार स्वतन्त्र साक्षियों को मौके पर बुलाकर उनके सामने नमूना लिये जाने का आज्ञापक प्रावधान है। इस बिन्दु पर अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **रामचन्द्र बनाम स्टेट एवं अन्य 1997 ए0सी0आर0आर0 पृष्ठ–484** प्रस्तुत की है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां स्वतन्त्र साक्षियों को खाद्य निरीक्षक द्वारा नमूना लेते समय नहीं बुलाया गया है, वहॉ दोषसिद्धि उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विधि व्यवस्था के पैरा–6 में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि

–

Section 10(7) of the Act provides that independent persons present at the spot should be called as witnessess. It is in evidence that some persons were present there. The Food Inspector has stated in his evidence that they were called to witness the fact of purchase but they did not agree. The learned counsel has rightly pointed out that in that case the Food Inspector should have noted in the memo the said fact of refusal, which he did not do, so according to him the evidence in this respect of the Food-Inspector is as afterthought. In this connection he has referred the case *Fateh Bahadur Srivastava and another v. State 1983 A.Cr. R. 51* wherein it has been held that, " if the independent witnessess are not prepared to give evidence. such fact should be mentioned in the memo prepared on the spot failure of which the conviction is not sustainable. "

इसी बिन्दु पर अपीलार्थी की ओर से एक अन्य विधि व्यवस्था **हल्कू बनाम स्टेट ई0एफ0आर0 1986 पृष्ठ–100** भी प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ खाद्य निरीक्षक के साक्ष्य को समर्थन देने के लिये किसी स्वतन्त्र साक्षी को न बुलाया गया हो, वहॉ अभियोजन के केस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

15. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में धारा–10(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अनुपालन के सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **राम लुभाया बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 1974 ए0आई0आर0 पृष्ठ–780** को उद्धृत करते हुए धारा–10(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अनुपालन के सम्बन्ध में मत व्यक्त किया गया है। सन्दर्भित विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि –

The obligation which section 10(7) casts on the Food Inspector is to "call" one or more persons to be present when he takes action. The facts in the instant case show that the Food Inspector did call the neighbouring shopkeepers to witness the taking of the sample but none was willing to co-operate. He could not certainly compel their presence. In such circumstances, the prosecution was relieved of its obligation to cite independent witnessess.

स्पष्ट है कि उपरोक्त सन्दर्भित विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खाद्य निरीक्षक द्वारा मौके पर नजदीकी दुकानदारों को बुलाये जाने तथा उनके द्वारा सहयोग न किये जाने का कथन किया गया था। इसी आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा–10(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का अनुपालन न किये जाने पर अवमुक्ति प्रदान की थी, किन्तु प्रस्तुत मामले में सम्बन्धित खाद्य निरीक्षक द्वारा मौके पर साक्षीगण को बुलाये जाने का प्रयास भी किया जाना दर्शित नहीं होता है, जैसा कि स्थानीय लेख प्रदर्श क–3 से विदित होता है कि उक्त स्थानीय लेख में मौके पर साक्षीगण के बुलाये का कोई कथन नहीं किया गया है, बल्कि छपे छपाये प्रोफार्मे पर ही यह इबारत लिखी गयी है, जिससे यह स्पष्ट है कि मात्र औपचारिकता पूरी करने हेतु खाद्य निरीक्षक द्वारा इस छपे छपाये प्रोफार्मे का प्रयोग किया गया है। वास्तव में मौके पर धारा–10(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का अनुपालन किया जाना दर्शित नहीं होता है।

16. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा धारा–13(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का भी अनुपालन नहीं किया गया है, जबकि वह आज्ञापक प्रावधान है। धारा–13(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम यह प्रावधानित करता है कि –

'' परिवाद प्रस्तुत करने के 10 दिन के अन्दर अभियुक्त को धारा–13(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जन विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के साथ एक नोटिस इस आशय की दी जाती है कि यदि अभियुक्त नमूने के द्वितीय भाग की जांच केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला से कराना चाहता है तो नोटिस मिलने के 10 दिनों के अन्दर वह न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकता है। ''

17. इस बिन्दु पर पी0डब्लू0–2 खाद्य लिपिक रोहित यादव ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि परिवादपत्र न्यायालय में दिनांक 27.05.2009 को प्रस्तुत किया गया था। उसके पश्चात् लगभग 15 दिनों के बाद दिनांक 12.06.2009 को नोटिस भेजी गयी है। नोटिस में दिनांक 10.06.2009 अंकित है, जबकि डाक रसीद में दिनांक 12.06.2009 अंकित है। रजिस्ट्री बड़े डाकखाना, कानपुर–नगर से की गयी है। स्पष्ट है कि अंकित समय सीमा के अन्दर अभियोजन ने नोटिस अभियुक्त को निर्गत नहीं की है। इस बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **मदन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 1999(2) जे0आई0सी0 पृष्ठ–786** महत्वपूर्ण है। उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा–13(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का अनुपालन मात्र औपचारिक नहीं है। धारा–13(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिये। यदि धारा–13(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम सही अर्थों में नहीं किया गया है तो दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है।

18. प्रस्तुत मामले में उपरोक्त विवेचना के उपरान्त न्यायालय इस मत की है कि अभियोजनपक्ष द्वारा धारा–10(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं धारा–13(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन किया जाना साबित नहीं होता है। ऐसी दशा में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील संख्या–167/1998 स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय द्वारा मुकदमा नं0–4382/2003, एन0एस0ए0 बनाम अतुल कुमार मौर्या, धारा–7/16 पी0एफ0ए0 एक्ट, थाना–बर्रा, कानपुर–नगर में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 17.02.2012 अपास्त किया जाता है।

अपीलार्थी को मुकदमा नं0–4382/2009, एन0एस0ए0 बनाम अतुल कुमार मौर्या, धारा–7/16 पी0एफ0ए0 एक्ट, थाना–बर्रा, कानपुर–नगर के मामले में दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी/अभियुक्त का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अपीलार्थी/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह एक सप्ताह के अन्दर धारा–437ए द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बीस–बीस हजार रूपये के दो जमानती व इसी धनराशि का निजी बन्धपत्र इस आशय का प्रस्तुत

करे कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील माननीय उच्च न्यायालय में योजित की जाती है तो वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा।

दिनांक–20.02.2023

(अजय कुमार त्रिपाठी–II)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
कानपुर नगर।

उक्त निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–20.02.2023

(अजय कुमार त्रिपाठी–II)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
कानपुर नगर।